भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2116

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को बढ़ावा देना

†2116. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री संजय दिना पाटीलः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण की जानकारी है जिसमें बताया गया है कि 90 प्रतिशत भारतीय प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं;

(ख) यदि हाँ, तो देशभर में, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर महाराष्ट्र में, प्रमाणित स्वास्थ्य सुविधाओं, गुणवत्ता मानकों और प्रत्यायन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में कितने अस्पतालों, क्लीनिकों और नैदानिक केंद्रों ने राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्यचर्या-प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच), जॉइन्ट कमीशन इंटरनेशनल (जेसीआई) या अन्य मान्यता प्राप्त गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त किए हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त राज्य के नागरिकों की प्रमाणित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए भुगतान करने की इच्छा का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) उक्त राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमाणित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुँच, वहनीयता और जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार का उक्त राज्य में स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं को उच्च गुणवत्ता मानक प्राप्त करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण या नीतिगत सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन सीमा के भीतर, उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में निर्धारित आवश्यकताओं के आधार पर, जिला अस्पतालों तक उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाता है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस), लक्ष्य (प्रसूति कक्ष और गुणवत्ता सुधार पहल), मुसकान (बाल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार पहल) और कायाकल्प के लिए एक व्यापक तंत्र को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र सहित देश भर में जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उसका विस्तार करना है।

आरंभ में, एनक्यूएएस को जिला अस्पतालों (डीएच) के लिए कार्यान्वित किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं सुरक्षित, रोगी-केंद्रित और गुणवत्तापूर्ण हों। तत्पश्चात, इन मानकों को उप-जिला अस्पतालों (एसडीएच), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), आयुष्मान आरोग्य मंदिर - शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एएएम-यूपीएचसी), आयुष्मान आरोग्य मंदिर - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एएएम-पीएचसी) और आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप-केंद्रों (एएएम-एसएचसी) तक विस्तारित किया गया था।

राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच), भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) जो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, के अधीन है। महाराष्ट्र सहित देश भर में एनएबीएच से मान्यता प्राप्त अस्पतालों, क्लीनिकों और नैदानिक केंद्रों की संख्या इस लिंक पर देखी जा सकती है: https://nabh.co/find-a-healthcare-organisation/

(घ) से (च): राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में सेवा प्रावधान, रोगी अधिकार, निविष्टियां, सहायक सेवाएं, नैदानिक परिचर्या, संक्रमण नियंत्रण और गुणवत्ता प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देकर परिचर्या की गुणवत्ता बढ़ाने वाला एक व्यापक तंत्र प्रदान करता है। इससे रोगियों के संबंध में बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं और स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में जनता का विश्वास बढ़ता है।

भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहित देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की सुलभता, वहनीयता और जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई विभिन्न पहलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संचालन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई), मोबाइल मेडिकल यूनिट और निःशुल्क दवा एवं निदान सेवा पहल शामिल हैं।

एनक्यूएएस प्रमाणन प्राप्त करने वाले जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्र पूर्व-निर्धारित श्रेणी-वार वित्तीय प्रोत्साहनों के पात्र होते हैं, ताकि इन केंद्रों को गुणवत्ता सुधार जारी रखने और रोगी-केंद्रित सेवाओं में पुनर्निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के लिए एनक्यूएएस मानकों, गुणवत्ता सुधार पद्धतियों और रोगी सुरक्षा प्रोटोकॉल संबंधी नियमित प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह मंत्रालय गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए दिशानिर्देश, टूलकिट और मूल्यांकन चेकलिस्ट भी प्रदान करता है। महाराष्ट्र सहित राज्यों को प्रगति की निगरानी के लिए विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता आश्वासन समितियां स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। बाह्य मूल्यांकन और केंद्रों के मार्गदर्शन के लिए पैनलबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं और सलाहकारों के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
